

उत्तर प्रदेश शासन
सूचना अनुभाग-1
संख्या : 275/उन्नीस-1-2011-124/89
लखनऊ : दिनांक : 21-3-2011

अधिसूचना
-प्रकीर्ण-

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सूचना (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2002 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सूचना (राजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और
पारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सूचना (राजपत्रित) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-5 का
संशोधन

2. उत्तर प्रदेश सूचना (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 2002 में नियम 5 में स्तम्भ 1 में दिए गए विद्यमान खण्ड (8) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा।

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(8) नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी-
मौलिक रूप से नियुक्त सूचना अधिकारियों में से जिन्हें जिला सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव हो या मौलिक रूप से नियुक्त सांख्यिकी सहायकों में से, जिनके पास गणित या सांख्यिकी के साथ स्नातक उपाधि हो और जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में, पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(8) नियोजन एवं मूल्यांकन अधिकारी-
मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सांख्यिकी सहायकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

साक्षात् से,

(विजय शंकर पाण्डेय)
प्रमुख सचिव

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 275/19-1-2011-124/89 dated ...2.1.3.2011 :

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
INFORMATION SECTION-1
NOTIFICATION
Miscellaneous

No. 275 /19-1-2011-124/89
Dated Lucknow, ...2.1.3.2011

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Information (Gazetted) Service Rules, 2002 :

THE UTTAR PRADESH INFORMATION (GAZETTED) SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES-2011

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Information (Gazetted) Service (First Amendment) Rules, 2011.
(2) They shall come into force at once.
2. In the Uttar Pradesh Information (Gazetted) Service Rules, 2002, in rule 5, for existing clause (8) set out in column 1 below, the clause as set out in column 2 shall be substituted, namely:-

COLUMN 1	COLUMN 2
Existing clause	Clause as hereby substituted,
(8) Planning and Evaluation Officer- By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Information Officers who have three years experience of working as District Information Officer or substantively appointed Statistical Assistants who have bachelor's degree with Mathematics or Statistics and who have completed five years service, as such, on the first day of the year of recruitment.	(8) Planning and Evaluation Officers- By promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Statistical Assistants who have completed five year service as such on the first day of the year of recruitment.

By order,

(VIJAY SHANKAR PANDEY)
Principal Secretary

Min/ Title and commencement

Amendment of rule 5